(32)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.।

निगरानी/3978/2018/भोपाल/भू.रा. निगरानी क्रमांक..... /18

1– राजेन्द्रकुमार सैनी आयु 60 वर्ष
2– नरेन्द्र सैनी आयु 40 वर्ष
3– जितेन्द्र सैनी आयु 37 वर्ष
तीनो पुत्रगण स्व. श्री बाबूलाल सैनी
तीनो निवासी– 76 चौकसे नगर, डी.आई.जी. बंगला
के पास बैरसिया रोड भोपालम.प्र.। ..... निगरानीकर्तागण

(983)

विरूद्ध

1– चतुरनारायण विश्वकर्मा आयु 50 वर्ष
पुत्र स्व. श्री शिवचरण विश्वकर्मा
निवासी– 43 गोया कालोनी करोंद भोपाल व
कृषक ग्राम खजूरी रताताल पटवारी हल्का
नम्बर 08 तहसील हुजूर जिल भोपाल म.प्र.।

2– सर्व साधारण ..... रेस्पॉडेन्टगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0।

निगरानीकर्ता की और से निम्न निवेदन है कि –

निगरानीकर्तागण माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय वृत–1 तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 144/अ–12/2016–17(चतुर नारायण विरूद्ध सर्वसाधारण) में पारित सीमांकन आदेश दिनॉक 27/09/17 से दुखी एवं क्षुब्द्ध होकर यह निगरानी जानकारी दिनांक से समयवधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण तथ्य

1– यह कि रेस्पॉण्डेंट क्रमांक 1 ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन धारा 129 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के देकर अपनी भूमि खसरा क्रमांक 473/1, 482/2, 481 रकबता 0.250, 0.140, 0.16 हैक्टर का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था उक्त सीमांकन आवेदन दिनांक 27/05/17 को प्रस्तुत

....2....

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3978/2018/भोपाल/भू.रा. [राजेन्द्र कुमार/चतुरनारायण]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 27-9-17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15-6-18 को लगभग 6 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना नहीं दिया जाना बताया गया है, जो कि समाधान कारक नहीं होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति -अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत -अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	